अस्थायी व्यादेश
व्य.प्र.संहिता आदेश 39 नियम (1)व (2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

देवराज राजपूत वगैर .... प्रार्थीगण || बनाम || नारायणनाथ वगैर .... विपक्षीगण

प्रकरण संख्या 57 /2020
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए०

प्रेषिति

1. नारायणनाथ पिता मदननाथ राजपूत वयस्क निवासी कांस्याकला जिला चित्तौडगढ
2. सीता पत्नि किशनलाल अहीर वयस्क निवासी गंगलवास तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ
3. राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री गोहम्मद रईस द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये प्रकरण को पढने के पश्चात् और उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये नकल जमाबन्दी एवं शपथ पत्र का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थीगण , एवं स्वंय माता व पुत्री टीना कंवर को सुना गया । बच्चों के हितो को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों मेंविवाद वृद्वि नहीं हो अतः – अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा कांस्याकला पटवार हल्का लेसवा की खाता संख्या 241 की आराजी नम्बर 966/39 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज होकर विवादित है उक्त आराजीयात उक्त आराजीयात से संबंधित भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं करें, हस्तान्तरित नहीं करें न किसी अन्य माध्यम से करावें । इसमें यदि आपको किसी प्रकार का एतराज हो तो न्यायालय के समक्ष दिनांक 26–.08.–2020 को उपस्थिति होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें । अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 27.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/8/2020 रीना कंवर मनीषा चौहान ओमकंवर	अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थीगण द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रा०प० पत्रावली प्राप्त प० विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली सिगे से तलब किया हुए। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन पर पारीवारिक स्तर पर हस्तगत प्रकरण पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थीगण की विड्रो करना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा पहचान अधिवक्ता मो० रफीक द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण का प्रा० प० प्रकरण विड्रो करने का स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती हुए पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से खारिज हो। उपखण्ड अधिकारी भदेसर, चित्तौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.10 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner